राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
02/23	12.01.23	03.01.25

बउनवान

1. बाबूलाल पुत्र छंगा जाति मीना निवासी अलीपुर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. रामस्वरूप पुत्र छंगा जाति मीना निवासी अलीपुर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थितः

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।
2. अप्रार्थी – तहसीलदार बैजूपाडा।

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती नक्शा ट्रेस अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत दुरुस्ती नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया कि भूमि मुतदाविया ग्राम कांकरवास पटवार हल्का बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी सं. नई 59 पुरानी 61 के खसरा सं. 401 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा सं. 506 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा सं. 509 रकबा 0.10 हैक्टे., कुल किता 3 कुल रकबा 0.51 हैक्टे. स्थित भूमि है। भूमि मुतदाविया का पूर्व में खसरा सं. 305 सिवाय चक की भूमि रही है जिसको बाद में खसरा सं. 508 कायम किये गये उक्त भूमि को आवंटन से प्राप्त हुई भूमि है जिसके खसरा सं. 401, 506, 509 कुल किता 3 कुल रकबा 0.51 हैक्टे. कायम किये। भूमि का आवंटन होने के पश्चात जब राजस्व अधिकारियों के द्वारा प्रार्थीगण को कब्जा सम्भलाया, उस समय प्रार्थीगण को मुताबिक नक्शा ट्रेस खसरा सं. 658/508 के पश्चिमी दिशा की ओर उक्त खसरा सं. के लगती हुई भूमि पर कब्जा मौके पर सम्भलाया गया था तथा प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पश्चिम में प्रार्थीगण के पडोसी रत्तीराम, रामप्रसाद पुत्रान तीतान की भूमि खसरा सं. 507 कायम है तथा प्रार्थीगण की भूमि के पूरब दिशा की ओर में खसरा सं. 658/508 लगती हुई भूमि है। आवंटन के समय से लेकर आज दिन तक प्रार्थीगण अपनी आवंटनशुदा भूमि पर काबिज काश्त है। वरवक्त आवंटन भूमि उबड खाबड नल नाकलो में थी जिसको कृषि योग्य बनाने में लाखो रूपये की लागत व मेहनत लगायी थी तथा बिना कोई विध्न व बाधा के आज दिन तक बदस्तूर काबिज काश्त होकर लाभांन्वित होते चले आ रहे है। दिनांक 05.01.23 को प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से अपनी भूमि पर के.सी.सी. बनवाने के लिये जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की मांग की तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपकी भूमि खसरा सं. 401, 506, 509 मौके के विपरीत है तथा गलत नक्शा ट्रेस में दर्शित की हुई है जिस पर प्रार्थीगण ने कहा कि वहां प्रार्थीगण की भूमि नहीं है, प्रार्थीगण की भूमि तो मुताबिक नक्शा ट्रेस खसरा सं. 658/508 के पश्चिमी दिशा की ओर उक्त खसरा सं. के लगती हुई भूमि है तथा राजस्व अधिकारियों के द्वारा आवंटन के समय प्रार्थीगण को वहीं पर कब्जा सम्भलाया गया था तथा आवंटन के पश्चात से प्रार्थीगण इसी भूमि पर काबिज काश्त होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं, आप अब हमारी नक्शा ट्रेस में गलत स्थान पर दर्ज की गयी भूमि को खसरा सं. 658/508 के पश्चिम दिशा की ओर लगती हुयी कायम करके आप नक्शा में दुरुस्ती करो तो हल्का पटवारी ने कहा कि न्यायालय से दुरुस्ती के आदेश लेकर आओ, तब दुरुस्ती करूंगा और हल्का पटवारी के द्वारा दुरुस्ती करने से साफ इंकार कर दिया है। प्रार्थीगण ने नक्शा ट्रेस में गलत दर्ज की गई भूमि को दुरूस्त करने के लिये अप्रार्थी के पास दिनांक 10.01.23 को ही प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी ने दुरुस्ती करने से मना कर दिया व न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा। सकूनत फरीकेन व स्थित भूमि मुतदाविया व दुरूस्ती नक्शा ट्रेस अन्दर हदूद न्यायालय हाजा के कारण अखित्यार समाअत मुकदमा हाजा न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि मुतदाविया जो कि नक्शा हाजा में खसरा सं. 658/508 के पश्चिम दिशा की ओर उक्त खसरा सं. के लगती हुई भूमि खसरा सं. 401, 506, 509 अर्से दराज से कायम रही है तथा उक्त खसरा सं. 658/508 के पश्चिम दिशा की ओर ही प्रार्थीगण आवंटन के समय से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 401, 506, 509 को गलत तरीके से नक्शा ट्रेस में अलग हट कर अलग अलग दर्ज की है, उसको दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि को खसरा सं. 658/508 के पश्चिम दिशा की ओर उक्त खसरा सं. के लगती भूमि खसरा सं. 401, 506, 509 कुल किता 3 कुल रकबा 0.51 हैक्टे. को खसरा सं. 658/508 के पश्चिम दिशा की ओर लगती हुयी नक्शा ट्रेस में दर्ज की जावे । इस अमर की दुरुस्थी नक्शा देस में प्रार्थीगण न्यायालय हाजा से अपने हक में करवाने के अधिकारी है। अन्य दादरसी जो प्रार्थीगण के हक में और अता फरमायी जावें ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर ने दिनांक 22.08.23 को रिपोर्ट/जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम कांकरवास प.मं. बालाहेडा के आराजी खसरा सं. 401, 506, 509 रकबा 0.51 हैक्टे. भूमि बाबूलाल, रामस्वरूप पुत्र छंग्गा जाति मीना निवासी अलीपुर के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो कि साबिक खसरा सं. 305/5 रकबा 2 बीघा में से बने हुए है जिनके मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रति व वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। सैटलमेन्ट से पूर्व का नक्शा एवं हाल नक्शा से तुलनात्मक मिलान से हाल खसरा सं. 401/0.21, 506/0.20, 509/0.10 किता 3 रकबा 0.51 हैक्टे. भूमि साबिक खसरा सं. 305/5 रकबा 2 बीघा से बने हुए है जिनके मिलान क्षेत्रफल की छायाप्रति व वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। नामान्तकरण सं. 27 दिनांक 26.08.1977 के जरिये

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

साबिक खसरा सं. 305/1178 रकबा 2 बीघा भूमि बाबूलाल रामस्वरूप पि. छंगाराम जाति मीना सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज नामान्तकरण की छायाप्रति संलग्न है। संवत् 2030–33 की जमाबंदी के खाता सं. 1 में आराजी खसरा सं. 305 रकबा 187.15 बीघा किस्म बंजर दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी संवत 2042–45 के खाता सं. 40 में आराजी खसरा सं. 305/5 रकबा 2 बीघा भूमि बाबूलाल, रामस्वरूप पि. छग्गा जाति मीना सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा जारी मिसल संवत 2052 से 2071 के खाता सं. 15 में साबिक नं. 305/5 रकबा 2 बीघा से हाल खसरा सं. 401/0.21, 506/0.20, 509/0.10 कुल किता 3 रकबा 0.51 हैक्टे. भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादीगण बाबूलाल, रामस्वरूप पुत्र छग्गा को भूमि आवंटन ख. सं. 305 रकबा 187.15 हैक्टे. मे से 2 बीघा का आवंटन नामान्तकरण खोलते समय तरमीम वादीगण को कब्जे शुदा भूमि पर नही कर सहवन से 305/5 होना प्रतीत होता है जबकि सैटलमेन्ट से पूर्व का नक्शा एवं हाल नक्शा से तुलनात्मक से यह है कि खसरा सं. 508, 305/5 खसरा सं. 305 से ही बने हुए हैं तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा सं. 401/0. 21, 506/020. 509/0.10 किता 3 रकबा 0.51 हैक्टे. पर वादीगण का कब्जा आज दिनांक तक नहीं होना बताया गया है। वादीगण को आवंटन साबिक ख. सं. 305 से हुआ है जिसके उपरान्त खसरा सं. 305 रकबा 2 बीघा व ख. सं. 508 तथा अन्य ख. सं. बने हैं। वादीगण को आवंटित भूमि की तरमीम ख. सं. 508 रकबा 12.77 हैक्टे. में कब्जे शुदा भूमि होनी चाहिए थी जो सहवन से 305/5 होना प्रतीत होता है। अतः तरमीम ख. सं. 508 जो मूल ख. सं. 305 से बना है, में कर नक्शा दुरुस्त करना उचित है।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों यथा– आराजी खसरा सं. 401, 506, 509 के मिलान क्षेत्रफल व वर्तमान जमाबंदी, सैटलमेन्ट से पूर्व का नक्शा एवं हाल नक्शा का अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती नक्शा ट्रेस को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे:

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के जरिये भूमि मुतदाविया खसरा सं. 401, 506, 509 की नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को कब्जे के आधार पर दुरुस्त करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट है कि भूमि मुतदाविया खसरा सं.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय —

401, 506, 509 साबिक खसरा संख्या 305 से बने हैं। पटवारी बालाहेडा की मौका रिपोर्ट अनुसार, प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा खसरा सं. 658/508 के पश्चिम दिशा में और खसरा सं. 507 के पूर्व दिशा में खसरा सं. 508 रकबा 12.77 हैक्टे. किस्म बंजड भूमि में से लगभग 2 बीघा भूमि पर 40–50 वर्षों से होना बताया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा ने भी रिपोर्ट/जवाब दिनांक 22.08.23 में यह तथ्य उल्लिखित किया है कि वादीगण को भूमि मुतदाविया का आवंटन साबिक ख. सं. 305 से हुआ है जिसके उपरान्त खसरा सं. 305 रकबा 2 बीघा व ख. सं. 508 तथा अन्य ख. सं. बने हैं। वादीगण को आवंटित भूमि मुतदाविया की तरमीम ख. सं. 508 रकबा 12.77 हैक्टे. में कब्जेशुदा भूमि होनी चाहिए थी जो सहवन से 305/5 हुई है। अप्रार्थी द्वारा तरमीम ख. सं. 508 (जो मूल ख. सं. 305 से बना है) में कर नक्शा दुरुस्त करना उचित बताया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा उल्लिखित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 22.08.23, पटवारी बालाहेडा की मौका रिपोर्ट तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खसरा सं. 401, 506, 509 की नक्शा ट्रेस में हो रखी तरमीम की कब्जे के आधार पर जो दुरुस्ती चाही गई है, वह किया जाना उचित है। इससे राजकीय भूमि के रकबे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती नक्शा ट्रेस अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कांकरवास पटवार हल्का बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 401, 506, 509 कुल किता 3 कुल रकबा 0.51 हैक्टे. भूमि की नक्शा ट्रेस में हो रखी वर्तमान तरमीम को दुरुस्त किया जाकर ग्राम कांकरवास पटवार हल्का बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 508 काश्तकार राजस्थान सरकार में, प्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूमि (मुताबिक पटवारी बालाहेडा एवं तहसीलदार बैजुपाड़ा रिपोर्ट–खसरा सं. 658/508 के पश्चिम दिशा में और खसरा सं. 507 के पूर्व दिशा में) पर रकबा 0.51 हैक्टे. भूमि खातेदारी प्रार्थीगण तरमीम की जावे। नक्शा ट्रेस दुरुस्ती से राजकीय भूमि का कुल रकबा यथावत रहेगा। तहसीलदार बैजुपाड़ा मुताबिक आदेश पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.25 को न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)